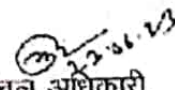


अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटौंड(विद्यासागर)
संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या-93/2022

तिथि	आदेश फलक	मंतव्य
	2	3
	-आदेश:-	
06.02.23	अभिलेख उपस्थित। यह अभिलेख मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 2074/रा0 दिनांक 13.5.16 के साथ सहपटित उपायुक्त, जामताड़ा के आदेश ज्ञापक 461/रा0, दिनांक-14.5.16 के आधार पर संचारित किया गया है। उपायुक्त जामताड़ा के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में राजस्व उप निरीक्षक हल्का संख्या-03 ने अंचल निरीक्षक करमाटौंड(विद्यासागर) के माध्यम से जौंच प्रतिवेदन दिया है कि करमाटौंड(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा-करमाटौंड, थाना सं0-11, खाता सं0-107/23, रकबा-0.34 एकड़ भूमि जमाबंदीदार कुलशुम बीबी पिता-अब्दुल करीम अंसारी ग्राम- करमाटौंड, पोस्ट- करमाटौंड थाना-करमाटौंड, जिला जामताड़ा के नाम से पंजी-11 में दर्ज है। तथा उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख के साथ स्थल जौंच करने पर पाया कि उक्त भूमि का सर्वे खतियान में किस्म-पुरातन पतित कहकर दर्ज है आने प्रतिवेदित किया है कि चूँकी पंजी-11 के प्राधिकार कालम में जमाबंदी कायम करने का कोई आधार दर्ज नहीं है तथा जमाबंदीदार के वारिशानों के द्वारा उक्त जमाबंदी का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उपरोक्त जमाबंदी संदिग्ध/अवैध प्रतीत होता है अतः जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। जौंच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदीधारी अथवा उनके जीवित वारिशान को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। वादी की ओर से उनके पौत्र मो0 मुरशीद तथा मो0 मुश्ताक सभी पिता-मो0 इस्माइल उपस्थित होकर अपने दावा के समर्थन में लगान रसीद सं0-1410213 एवं0 307594678 तथा अनुगडल पदाधिकारी जामताड़ा Settlement case No.-356 Of 1959-60 तथा उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा का वाद सं0-RMA No- 04/2019-20 के आदेश की छायाप्रति समर्पित किया है। बाद में समर्पित कागजातों की सत्यापित प्रति प्रदर्शित किया। राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन, करमाटौंड(विद्यासागर) ने संयुक्त रूप से प्रतिवेदन तथा नक्शा समर्पित किया है। उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं अंचल अमीन के साथ मौजा-करमाटौंड नं0-11 अंतर्गत अनावादी खाता सं0-107/23, दाग सं0-581 रकबा-0.34 एकड़ किस्म पुरातन पतित भूमि का जौंच एवं मापी किया गया। आगे प्रतिवेदित किया है कि उक्त भूमि पर जमाबंदीधारी के जीवित वारिशानों के द्वारा मकान-सह-बाड़ी एवं आँगन बनाकर दखल-कब्जा है। बंदोबस्ती कागजात तथा राजस्व उप निरीक्षक हल्का सं0-3/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन करमाटौंड(विद्यासागर) के जौंच सह मापी प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त वर्णित जमाबंदी सं0-107/23 को नियमित करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रतर कारवाई हेतु भूमि सुधार उप समारोह, जामताड़ा को भेजे।	


 अंचल अधिकारी,
 करमाटौंड(विद्यासागर),
 जामताड़ा।